न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 02/2022 GCMS No. 2022/5
दायरा तिथि : 10.01.2022
आदेश तिथि : 30-5-2022

प्रार्थी :–
सुधांशु गुर्जर पुत्र श्री सोगेन्द्र गुर्जर
जाति गुर्जर निवासी फालना स्टेशन तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
2. दलाराम पुत्र जेठाजी जाति सरगरा
   निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012
बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक : 30-5-2022

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि ग्राम बेडल पटवार हल्का, बेडल तहसील बाली के खसरा नंबर 590 रकबा 1.1800 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी दलाराम पुत्र जेठाजी जाति सरगरा निवासी बाली की निजी खातेदारी भूमि ग्राम बेडल तहसील बाली के खसरा नंबर 595 रकबा 5.28 हैक्टर व खसरा नंवर 606/2 रकबा 1.58 हैक्टर किस्म बारानी दोयम मेंसे तथा राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम बेडल तहसील बाली के खसरा नंबर 595/726 रकबा 2.56 हैक्टर किस्म बारानी दोयम मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय रिथति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक, खुडाला ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2022/359 दिनांक 11.02.2022 से प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम बेडल तहसील बाली के खसरा नंबर 590 रकबा 1.18 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि श्री भारत अग्रवाल पुत्र रघुवर दयाल गुप्ता हि. 1/2 जाति अग्रवाल निवासी शिव शक्ति पैरेडाईज विद्याधर नगर ,जयपुर व श्री सुधान्शु गुर्जर पुत्र श्री सोगेन्द्र गुर्जर जाति गुर्जर हिस्सा 1/2 महादेव गली फालना स्टेशन तहसील बाली के नाम से खातेदारी दर्ज हैं। खातेदार की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य विकल्प नहीं है।

2. यह हैं कि प्रस्तावित रास्ता दिये जाने पर निम्नानुसार भूमि प्रभावित होगी।

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	606/2	1.58 हैक्टर	बा.दो.	120X 6.10= 732 वर्गमीटर	दलाराम पुत्र जेठाजी सरगरा निवासी बाली
2	595	5.28 हैक्टर	बा.दो.	220X 6.10= 1342 वर्गमीटर	दलाराम पुत्र जेठाजी सरगरा निवासी बाली
3	595/726	2.56 हैक्टर	बा.दो.	100X 6.10= 610 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि
			कुल योग	2684 वर्गमीटर	

3. यह हैं कि ग्राम बेडल की डी.एल.सी. दर 172710/–रूपये प्रति हैक्टर है।

4. यह हैं कि प्रस्तावित रास्ते की भूमि खसरों में जहां से रास्ता प्रस्तावित किया गया है, वहां किसी प्रकार का पक्का निर्माण या वृक्ष इत्यादि नहीं हैं, अन्य कोई क्षति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 02/2022 GCMS No. 2022/5
अनवान सुधान्शु गुर्जर बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण में हितबद्ध निजी खातेदार दलाराम पुत्र जेठाजी सरगरा को न्यायालय द्वारा जारी नोटिस तामील के पश्चात् वकील श्री भरत जे. राठौड द्वारा दिनांक 02.02.2022 को वकालतनामा प्रस्तुत करते हुये आपत्ति प्रस्तुती के लिये समय /अवसर लिया गया। प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 15.02.2022 को न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जो रिपोर्ट दिनांक 04.04.2022 को रिकार्ड पर ली गई। वकील अप्रार्थी पक्ष को जवाब/आपत्ति प्रस्तुत करने के लिये समय/अवसर दिया गया। दिनांक 02.05.2022 को जवाब/आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक के पास पहले से विकल्पेन रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थना पत्र धारा 251(ए) खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र की नकल वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाते हुये पत्रावली को बहस के लिये रखा गया। दिनांक 23.05.2022 को पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी श्री भरत जे. राठौड ने बहस में आपत्ति प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी सुधांशु गुर्जर ने धारित खातेदारी भूमि ग्राम बेडल के खसरा नंबर 590 रकबा 1.18 हैक्टर में आने जाने हेतु आवागमन के लिए ग्राम बेडल में स्थित अप्रार्थी दलाराम की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 595 रकबा 5.28 हैक्टर व खसरा नंबर 606/2 रकबा 1.58 हैक्टर एवं राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम बेडल के खसरा नंबर 595/926 मेंसे नवीन रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध कराये जाने बाबत् प्रार्थना पेश किया है। जिस प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, बाली द्वारा मौका रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी गई है, परन्तु तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट गलत व मिथ्या तथ्य वर्णित करते हुये प्रस्तुत की गई। वास्तविक स्थिति यह हैं कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि के दक्षिण दिशा में विद्यमान ग्राम बेडल के खसरा नंबर 599 से होकर खसरा नंबर 600/2 रास्ता दर्शाया गया है व खसरा नंबर 599 से होकर माठ–माठ आसानी व सगुमता से आना जाना हो सकता है। आवेदित एवं प्रस्तावित रास्ते के अनुसार रास्ता दिये जाने पर काफी भूमि आवागमन में वेस्ट हो जायेगी, तथा आवेदित व प्रस्तावित रास्ता घुमावदार होकर काफी लम्बा है। जबकि माठ के लगते लगते प्रार्थी के खातेदारी खसरा नंबर 590 तक रास्ता के लिये भूमि उपलब्ध करवाई जाती है तो उसमें भूमि कम खराब होगी। इसके विपरित आवेदित व प्रस्तावित मार्ग से रास्ता उपलब्ध कराये जाने पर काफी भूमि अनुपयोगी हो जायेगी। विद्वान् वकील अप्रार्थी द्वारा बहस में दलील दी गई कि धारा 251(ए) के तहत आवागमन के लिये कोई विकल्प न होने पर निकटतम व लघुतम मार्ग उपलब्ध कराया जा सकता है, जबकि उक्त प्रकरण में आवेदक के पास पहले से विकल्प मौजुद है तथा विकल्प का मार्ग निकटतम व लघुतम होने से आवेदक प्रार्थी का आवेदन गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत करने से खारिज किये जाने की दलील दी गई। वकील प्रार्थी पक्ष श्री विरमदेवसिंह ने वकील अप्रार्थी की दलीलो का खण्डन करते हुये दलील दी गई कि आवेदक के पास पहले से रास्ते का कोई विकल्प उपलब्ध होता तो प्रार्थी आवेदन ही नहीं करता। प्रार्थी के खातेदारी भूमि तक पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं होने से ही विधिक प्रावधानो के तहत उक्त आवेदन पत्र पेश किया गया। जिस पर न्यायालय आदेश की अनुपालना में तहसीलदार, बाली व उसके प्रतिनिधियो द्वारा मौके एवं रेकर्ड की जांच के पश्चात् विस्तृत प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर दिया है। अप्रार्थी पक्ष द्वारा गलत एवं बेबूनियाद आधारो पर आपत्ति प्रस्तुत की गई है। आपत्ति प्रार्थना पत्र में वर्णिट रूट से यदि रास्ता उपलब्ध कराया जाता है, तो खसरा नंबर 599 गै.मु. रास्ता से शुरू होकर खसरा नंबर 600/2 गै.मु. रास्ता से होते हुये खसरा नंबर 597 किस्म गै.मु. वाला की भूमि रास्ता के रूट में आयेगी तथा इसके बाद अप्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 595 से होकर राजकीय सिवाय चक खसरा नंबर 595/726 से आवेदक की खातेदारी खसरा नंबर 590 तक पहुँचा जा सकेगा, इस प्रकार आपत्ति प्रार्थना पत्र में वर्णित रूट में खसरा नंबर 597 गै.मु. वाला पडता है। अप्रार्थी पक्ष द्वारा बिना रेकर्ड देखे एवं मौका स्थिति के विपरित अनावश्यक रूप से उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो प्रथम दृष्ट्या रेकर्ड से प्रमाणित नहीं होने तथा मौका स्थिति के विपरित होने से अप्रार्थी पक्ष की आपत्ति को खारिज करते हुये तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदक को खातेदारी भूमि तक रेकर्डेड पहुँच मार्ग उपलब्ध कराये जाने की दलील दी गई। उभय पक्ष वकुलाय की बहस के पश्चात् जाहिर हैं कि आवेदक प्रार्थी द्वारा प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में वर्णित मार्ग से रास्ता दिलाने की दलील दी जा रही है जबकिं अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत जवाब/आपत्ति में उल्लेखित रूट से रास्ता दिलाये जाने की दलील दी जा रही है। वकील प्रार्थी की उक्त दलील की उपलब्ध रेकर्ड से पुष्टि होती हैं कि आपत्ति में उल्लेखित रूट से रास्ता दिये जाने पर खसरा नंबर 597 गै.मु. नाला की भूमि आती है, गै.मु. नाला की किस्म की भूमि प्रतिबंधित भूमि होने के साथ साथ अब्दुल रहमान प्रकरण से भी प्रभावित है।

पेज लगातार

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 02/2022 GCMS No. 2022/5
अनवान सुधान्शु गुर्जर बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

इसके अतिरिक्त अन्य विकल्प खसरा नंबर 590 के उत्तर की ओर स्थित खसरा नंबर 589 की भूमि भी गै.मु. वाला की भूमि है। जिससे भी रास्ता दिया जाना संभव नही है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष की आपत्ति रेकर्ड के विपरित है, अर्थात आपत्ति में उल्लेखित रूट में बीच में गै.मु.वाला की भूमि पडती है, जो कि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। जिससे आपत्तिकर्ता की आपत्तियॉं सारहिन होने से निरस्त की जाती है। प्रकरण समरी प्रोसिडिंग्स का है, जिसमें तहसीलदार, बाली से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुये भी काफी समय हो चुका है। तथा ऐसे प्रकरणो को अधिकतम 90 दिवस की अवधि में निर्णित किये जाने बाबत् नियमों में प्राविधित किया गया है। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन, वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनाक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे ग्राम बेडल पटवार हल्का, बेडल तहसील बाली के खसरा नंबर 590 रकबा 1.1800 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी दलाराम पुत्र जेठाजी जाति सरगरा निवासी बाली की निजी खातेदारी भूमि ग्राम बेडल तहसील बाली के खसरा नंबर 595 रकबा 5.28 हैक्टर व खसरा नंबर 606/2 रकबा 1.58 हैक्टर किस्म **बारानी दोयम मेंसे 1992 वर्गमीटर** तथा राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम बेडल तहसील बाली के खसरा नंबर 595/726 रकबा 2.56 हैक्टर किस्म **बारानी दोयम मेंसे** 610 वर्गमीटर तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित ट्रेक नया मार्ग रास्ता नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार व अप्रार्थी को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 172710/- प्रति हैक्टर की दर से दुगुणी राशि	नाम खातेदार
606/2	1.58 हैक्टर	120X6.10= 732 वर्गमीटर	17.27	1262 X2=25284	दलाराम पुत्र जेठाजी सरगरा निवासी बाली
595	5.28 हैक्टर	220X6.10=1342 वर्गमीटर	17.27	23176X2=46353	दलाराम पुत्र जेठाजी सरगरा निवासी बाली
595/726	2.56 हैक्टर	100X6.10= 610 वर्गमीटर	17.27	10535X2=21070	राजकीय सिवायचक भूमि

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **71637/- (अक्षरे ईकहत्तर हजार छः सौ सैतीस रूपये मात्र)** आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर प्रभावित खातेदार को अदा की जावेगी। तथा **21070/-**अक्षरे ईक्कीस हजार सित्तर रूपये राजकोष में जमा कराई जावेगी। तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 खुडाला द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जावेगा। प्रभावित खातेदार द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु.** रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(आई.ए.एस.) (राज.)
उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमांक/कोर्ट(रास्ता)/2022/2209—2213
दिनांक 30-5-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ/ सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 खुडाला
3. पटवारी हल्का, बेडल
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील कार्यालय ,बाली
5. आवेदक सुधान्शु गुर्जर पुत्र श्री सोमेन्द्र गुर्जर निवासी फालना स्टेशन को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner